संख्याः 1017 /XVII(4)/2012/29/10

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, देहरादूनः दिनांक 23 अप्रैल, 2012

विषयः **किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना–सबला के अन्तर्गत अनुश्रवण/पर्यवेक्षण समितियों के गठन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3771/सबला–1552/2010–11 दिनांक 7–2–2011 एवं पत्र संख्या 2217–18/सबला–1552(2)/2011–12 दिनांक 26–12–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना–सबला के अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्नवत विभिन्न स्तरो पर समितियां गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

1–राज्य स्तरीय समिति–

क0स0	पद नाम	समिति में अध्यक्ष/सचिव/सदस्य
1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	05 संसद सदस्य एवं 05 राज्य विधान सभा के सदस्य	सदस्य
3	सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4	सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
6	सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
7	सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
8	सचिव, युवा कल्याण, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
9	सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
10	सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
11	सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य–सचिव
12	विशेषज्ञ/स्वैच्छिक संगठन/सी0बी0ओ0 (प्रत्येक वर्ग से02)	सदस्य

2–जिला स्तरीय समिति–

क0स0	पद नाम	समिति में अध्यक्ष / सचिव / सदस्य
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्याधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
3	पंचायत समिति सदस्य	सदस्य
4	चिकित्सक / सिविल सर्जन	सदस्य
5	श्रम अधिकारी	सदस्य
6	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
7	05 बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
8	जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य–सचिव
9	विशेषज्ञ / एन0जी0औ0 (02 प्रत्येक वर्ग से)	सदस्य

3–विकासखण्ड स्तरीय समिति–

क0स0	पद नाम	समिति में अध्यक्ष / सचिव / सदस्य
1	जिला कार्यक्रम अधिकारी	अध्यक्ष
2	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
3	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
4	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5	जन संचार अधिकारी	सदस्य
6	जे0ई0 (पी0एच0ई0डी0)	सदस्य
7	बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य–सचिव

4–ग्राम्य स्तरीय समिति–

क0स0	पद नाम	समिति में अध्यक्ष / सचिव / सदस्य
1	महिला ग्राम पंचायत सदस्य	अध्यक्ष
2	ए0एन0एम0 आशा	सदस्य
3	स्वंय सहायता समूहों के नेता	सदस्य
4	प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय	सदस्य
5	समुदाय संगठन के ग्राम्य स्तर पर कार्यरत प्रतिनिधि	सदस्य
6	सखी	सदस्य
7	आंगनबाड़ी कार्यकत्री	सदस्य समन्वयक

2– राज्य स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति की त्रैमास में बैठक आयोजित की जायेगी एवं जब आवश्यक हो अध्यक्ष की सूचना के आधार पर बैठक आयोजित की जायेगी। विकासखण्ड स्तरीय समिति की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें

गांव की विभिन्न मुद्दो पर चर्चा की जायेगी एवं तद्नुसार बैठक का कार्यवृत्त आयोजित किया जायेगा। ग्राम स्तरीय समिति राजस्व ग्राम स्तर पर गठित होगी (यदि एक से अधिक ऐसे ग्राम है तो एक ग्राम पंचायत के लिये एक समिति गठित होगी)। समिति की बैठक माह में एक बार आयोजित की जायेगी तथा तद्नुसार बैठक के कार्यो का अभिलेखीकरण किया जायेगा।

3– सबला योजनान्तर्गत गठित उक्त समितियों का संचालन निदेशक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली के पत्र संख्या 6–11/2010–आर0जी0एस0ई0ए0जी0 दिनांक 14–12–2010 के अनुसार किया जायेगा।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
सचिव

संख्याः (1)/XVII(4)/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली के पत्र संख्या 6–11/2010–आर0जी0एस0ई0ए0जी0 दिनांक 14–12–2010 के कम में।
4. समिति के मा0 अध्यक्ष/सदस्यगण।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव